

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली  
(पीलासीन अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प हिण्डौन

मुकदमा नं०  
461/2020

किस्म मुकदमा  
धारा 136 एल आर एक्ट

तारीख रजु  
07.09.2020

तारीख फैसला  
12.11.2022

उनवान अतरसिंह बनाम सरकार

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का पाली व भू.अ.नि. विजयपुरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सूरौठ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चुराली तहसील सूरौठ जिला करौली की जमाबंदी सम्वत् 2070- 2073 में खाता संख्या 110, 111, 197 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	चुराली	110, 111, 197 खसरा नं०:- 606, 611, 614, 506, 579, 601, 602, 604, 608, 609, 615, 618, 619, 620, 621, 535, 577, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 556/1080, 557, 560, 565, 566, 567, 568, 571, 572, 573, 574, 575	अतरसिंह पुत्र श्रीमन, चन्द्रवती पुत्री श्रीमन, तेजसिंह पुत्र श्रीमन, दरबसिंह पुत्र श्रीमन, मिथलेश पुत्री श्रीमन, लच्छो पत्नि श्रीमन	अतरसिंह पुत्र श्रीपत, चन्द्रवती पुत्री श्रीपत, तेजसिंह पुत्र श्रीपत, दरबसिंह पुत्र श्रीपत, मिथलेश पुत्री श्रीपत, लच्छो पत्नि श्रीपत नोट:- श्रीमन के स्थान पर श्रीपत दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

क्रमांक/कोर्ट/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. तहसीलदार सूरौठ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्रीमती अतरसिंह, तेजसिंह, दरबसिंह पिसरान श्रीपत, चन्द्रवती, मिथलेश पुत्रिया श्रीपत, लच्छो पत्नि श्रीपत जाति जाट निवासी चुराली तहसील सूरौठ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन